न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 18/2013 G.C.M.S. No. 2013/00115 दर्ज दिनांक : 27.06.213

अपीलार्थी:

1. भीमाराम पुत्र केसाराम
2. अमराराम पुत्र दरगाराम
3. धन्नाराम पुत्र नेनाराम
4. बालाराम पुत्र जोधा, समस्त जातिगण सिरवी, निवासीगण ढोला जागीर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. लहरीदेवी पत्नि गोरखनाथ, जाति जोगी, निवासी ढोला, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
2. तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के दौरान कैम्प ढोला में रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में ग्राम ढोला जागीर के खसरा नंबर 746/1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि में पारित आवंटन आदेश दिनांक 14.02.2013 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. राज पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के दौरान कैम्प ढोला में रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में ग्राम ढोला जागीर के खसरा नंबर 746/1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि में पारित आवंटन आदेश दिनांक 14.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 के दौरान दिनांक 14.2.13 को ग्राम ढोला में कैम्प आयोजित किया गया और ग्राम ढोला के खसरा नम्बर 746/1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर कृषि भूमि का आवंटन रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही हैं कि उपरोक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स अपने पूर्वजों के समय से पिछले 40 सालों से लगातार काबिज हैं, काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर रहे हैं, उपयोग–उपभोग कर रहे हैं और उपरोक्त आवंटित भूमि के चिपती मूल खसरा नम्बर 746 की भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी की स्थित है इस प्रकार उपरोक्त खातेदारी एवं जैर अपील आवंटनशुदा भूमि मौके पर एक चक में लम्बे समय से अपीलाण्ट्स के कब्जे में लगातार चली आ रही है और उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट्स के आजीविका साधन है। आज भी मौके पर अपीलाण्ट्स ही काबिज है एवं वास्तविक–भौतिक रूप से उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए बिना सही स्थिति की जांच किए ही अवैध रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से जैर अपील आदेश पारित किया है। जैर अपील आवंटन किये जाने से पूर्व न तो विधिवत् उद्घोषणा जारी की गई, न ही आवेदन आमंत्रित किए गए, आवंटन नियमों की पूर्णतया अवहेलना करते हुए जैर अपील आवंटन आदेश पारित किया गया है। आवंटनशुदा भूमि ओक्यूपाईड भूमि है और कई दशकों से अपीलाण्ट्स काबिज है ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम अपीलाण्ट्स के कब्जे को नियमित किए जाने के सन्दर्भ में विधिवत् आदेश पारित किया जाना चाहिए था, अपीलाण्ट्स का आधिपत्य नियमन की तारीफ में नहीं आने की सूरत में विधिनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट्स को बेदखल करने के पश्चात् ही उपरोक्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को आवंटन की जा सकती थी। अपीलाण्ट्स ने उपरोक्त भूमि को नियमन किए जाने के सन्दर्भ में कैम्प में आवेदन भी पेश किया था, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई न तो कार्यवाही की, न ही आदेश पारित किया और मनमर्जी से जैर अपील आवंटन आदेश पारित कर दिया। जैर अपील आवंटन आदेश द्वारा आवंटन की गई भूमि पर आज भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कब्जा नहीं है, मौके पर उपरोक्त आवंटनशुदा भूमि का अलग से कोई अस्तित्व भी नहीं हैं। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई उद्घोषणा जारी की गई, न ही आवेदन आमंत्रित किए गए और कैम्प के दौरान समस्त ग्रामवासियों को जानकारी दिये बिना ही चोरी–छीपे तरीके से जैर अपील आवंटन आदेश पारित किया गया है, जिसकी जानकारी तत्समय अपीलाण्ट्स को नहीं हो सकी थी। तत्समय अपीलाण्ट्स ने भी नियमन हेतु आवेदन पेश किया था, लेकिन अपीलाण्ट्स को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ऐसी सूरत में पूर्व में जैर अपील आदेश की कोई जानकारी नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.4.13 को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई, जिस पर 16.4.13 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया, जहां से 18.4.13 को नकल प्राप्त हुई, तत्पश्चात् लगातार अवकाश होने से आज अपील पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए:–

1. 1998 DNJ 535 (HC)
2. 2002 RLW Rev. 141
3. 2012 (1) RRT 717
4. 2011 (3) DNJ 1100
5. 2002 RRD 150
6. 2022 (1) RRT 686
7. 2014 (2) RRT 1207

हमनें विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उपखंड अधिकारी व अध्यक्ष भू–आवंटन सलाहकार समिति सुमेरपुर द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2013 को ग्राम ढ़ोला जागीर के खसरा संख्या 746/1012 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किये जाने के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन एवं म्याद प्रार्थना पत्र के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटनशुदा भूमि पर अपीलांट्स का कई दशकों से कब्जा है और अपीलांट्स का आधिपत्य नियमन की तारीफ में आता है। अपीलांट्स को नियमन नहीं कर बिना सुनवाई किए जैर अपील आदेश पारित कर रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया गया। जो एस.सी. वर्ग की महिला होने का फायदा उठाकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती हैं। अतः अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रथमदृष्टया व्यथित व प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र मंजूर कर अनुमति प्रदान करावें।
3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा वर्णित तमाम कथन मनगढ़ंत व झूठे हैं। जो अस्वीकार है। अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। अपीलाधीन भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आरंभ से ही सरकारी भूमि थीं। अपीलांट का नियमन बाबत कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलांट द्वारा पूर्व से ही अधिक भूमि धारित है तथा अपीलांट भूमिहीन की तारीफ में नहीं आते हैं। जबकि रेस्पोंडेंट अनुसूचित जाति की भूमिहीन महिला है तथा भूमि के अलावा जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं हैं। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से व्यथित व प्रभावित पक्षकार नहीं हैं। जिन्हें अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपील खारिज फरमावें।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं भूमि आवंटन सलाहकार समिति सुमेरपुर कैम्प ढ़ोला की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 14.02.2013 तथा वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.02.2013 को खेतिहर मजदूर कृषकों, को आर्थिक स्थिति व कृषि भूमि धारण संबंधी जांच कर ग्राम ढ़ोला के सिवायचक भूमि के खसरा संख्या 746/1012 रकबा 1–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि लेहरीदेवी पत्नि गोरखनाथ जाति जोगी निवासी ढ़ोला को आवंटित की गई। जो नामांतरण संख्या 1165 दिनांक 15.02.2013 द्वारा आवंटी रेस्पोंडेंट संख्या 1 के नाम बतौर गैर खातेदारी में दर्ज की गई।

5. अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि को अनुसूचित जाति संवर्ग की भूमिहीन एवं आर्थिक रूप से समाज के कमजोर तबके की महिला को आवंटित की गई हैं। चूंकि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अतः उक्त भूमि में किसी भी दृष्टि से अपीलांट का कोई भी हक या अधिकार निहित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हें सुना जाना कतई आवश्यक नहीं था। अपीलांट का यह कथन कि उसका अपीलाधीन आराजी पर कब्जा होने से उसका उक्त आराजी में हित निहित है, हमारे विनम्र मत में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्योंकि अपीलांट का यदि कब्जा भी हैं तो ऐसा कब्जा महज विधिविरूद्ध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तथा कोई भी अतिक्रमी कानूनन बेदखली के हकदार होते हैं न कि अतिक्रमण से किसी प्रकार का कोई अधिकार या हित सृजित होता हों। पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेख ग्राम ढ़ोला की जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स भूमिहीन या सीमांत कृषक नहीं होकर पर्याप्त मात्रा में भूमिधारक काश्तकार है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की प्रकृति हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होते हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का कोई हित निहित नहीं होने, अपीलाधीन आराजी आवंटन से पूर्व राजकीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सिवायचक भूमि होने तथा अपीलांट का आवंटित भूमि में कानूनन कोई हक व हित निहित नहीं होने से अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किसी भी रूप में पीड़ित व प्रभावित पक्ष नहीं हैं। अतः अपीलांट्स का कोई ***Locus standi*** नहीं होने से अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना व इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner